निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 63/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सायर देवी पुत्री हनुमान जाट पत्नी कैलाश चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम जयसिहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी नाला की ढाणी वार्ड नं. 29 जयसिंहपुरा रोड, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री विनीत कुमार आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) जयपुर ।

2 राकेश चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

3 हनुमान पुत्र हरबक्श जाति जाट निवासी लीलों की ढाणी, ग्राम जयसिंहपुरा वास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

4 सुरेश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी लीलों की ढाणी, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 186/2023 ब उनवानी सायर बनाम हनुमान व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 186/2013 ब उनवानी सायर बनाम हनुमान व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त वाद ग्रस्त आराजीयात मुनाईशी रजिस्ट्री करा कर प्रार्थिया के हक हिस्से को खुर्द बुर्द करना चाहता है तथा कब्जे से बेदखल करना चाहता है तथा अधीनस्थ न्यायालय में से दावा खारिज करना चाहते है । अप्रार्थीगण प्रार्थिया को आये दिन धमकियां देते रहते है कि 6-7 रोज से आपका दावा खारिज हो जायेगा और प्रार्थिया के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। अप्रार्थीगण धनबल व भुजबल से सम्पन्न व्यक्ति है तथा ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थिया को उसके हक अधिकारों से महरूम करने की फिराक मे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थिया ने दिनांक 13.05.2024 को अन्य अधिवक्ता को नियुक्त किया था तत्पश्चात उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2024 नियत की गई । तत्पश्चात उक्त प्रकरण में दिनांक 31.05.20121 को प्रार्थिया को पत्रावली में आवश्यक रूप से बहस करने व अन्तिम निस्तारण के लिये कहा गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के प्रकरण में डे बाई डे की तारीख पेशी नियत कर रखी है। प्रार्थिया के उपरोक्त प्रकार अप्राथीगण द्वारा वाद खारिज कराने की दी गई । धमकियों से अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थिया को किसी प्रकार की न्याय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवयक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाये है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त हाने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित मे इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधियक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) जयपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायंक कलक्टर) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 186/2023 ब उनवानी सायर बनाम हनुमान व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर में उपस्थित हो।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

9. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) जयपुर व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल होवे।

11. निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर